

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अष्टकला वनाम दुकमासि 810 परससम कादीर बल्लपुरा रामगठ  
प्रकरण अर्न्तगत धारा 91 एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या - 76/2018

निर्णय दिनांक - 14/3/18

प्रभावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण यथा व इस प्रकार है कि याम अष्टकला बल्लपुरा  
की आ.स.न. 279 कुल रकबा 1.59 किलो जमीन गोण्डा में से 0.01 रामगठ  
रकबा पर श्री दुकमासि 810 परससम के अनाधिकृत रूप से अधिकरण कर  
पारसीकरी कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अष्टकला द्वारा दिनांक 2/3/18

को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय चाईद  
मू.अ.निरी. बसेठ के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया  
जाकर अतिक्रमी दुकमासि 810 परससम निवासी बल्लपुरा  
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की प्रतिलिपि  
कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर अभिलेख प्रभावली किया गया। अतिक्रमी

कशासि 8 उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल प्रभावली है।

उक्त रकबा आ.स.न. 279 रकबा 1.59 में से 0.01  
रकबा किलो गोण्डा है जो नियमन के तहत नती है लिखाजा बल्लपुरा का प्रभावली  
रकबा से वेदखल किया जाने के आदेश दिए जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 6Paise का


50 गुणा 6Paise रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी कि नोटिस का निष्पत्ति  
जावे, पैनल्टी 3.00 तीन वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी अष्टकला मू.अ.निरी. बसेठ

को लिखा जाकर बाद तदन्वील न्यायालय दफ्तर हो। निर्णय मूले न्यायालय में  
सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार  
कठूमर (अलवर) राज.

रा. नि. सं. 4 के अन्तर्गत 53 का 4  
वर्ष 2017-18 का कार्यवाही का 31  
की कार्यवाही की गई

  
तहसीलदार कठूमर (अलवर)